अतिआवश्यक – PMAY-G

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(42)ग्राविवि–5/Pmay-G/M-1/प्रगति–2 2017–18 जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 2019

जिला कलक्टर, समस्त
राजस्थान।

विषयः– 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत सभी स्वीकृत आवासो को 31 मार्च 19 तक पूर्ण कराने बाबत।

प्रसगः– विभागीय पत्र दि. 16.11.18, 04.12.18, 13.12.18, 21.12.18, 23.1.19, 06.02.19, 18.2.19, 1.3.19 08.03.2019

विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश व राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में स्वीकृत प्रगतिरत/अपूर्ण 175612 आवासों को पूर्ण कराने हेतु जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये गये। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की आयोजित बैठक दिनांक 5.3.19 में योजनान्तर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा उपरान्त मुख्य सचिव महोदय के पत्र दिनांक 8.3.19 द्वारा संलग्न आवंटित लक्ष्यानुसार नियमित समीक्षा कर प्रगतिरत / अपूर्ण आवासो को दिनांक 31 मार्च तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त संबंध में दिनांक 22.3.19 तक जिलेवार अर्जित प्रगति अनुसार स्वीकृत 684234 आवासों में से 567937 आवास ही पूर्ण एवं 116297 आवास अभी भी अपूर्ण/प्रगतिरत है। इन आवासो में से 13627 आवासो के भुगतान एवं 5496 आवासो के लेवल 7 के इन्सपेकशन दर्ज किया जाना अवशेष है। उक्तानुसार राज्य में 97177 आवास अभी भी भौतिक रूप से पूर्ण होना शेष है, जो कि खेद जनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना की नियमित समीक्षा कर दैनिक लक्ष्यानुसार अपूर्ण 97177 आवासों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा कर आवास सॉफ्ट पर आवश्यक रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एव पंरावि राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. परि.निदे.एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग को 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध मे।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविवि), समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)